न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 403/17 **निर्णय दिनांकः—06.08.2018**

1. रविन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी पुरानी गिन्नाणी तहसील व जिला बीकानेर

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 18—112—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18—12—2003 जिसके द्वारा अपीलांट् का पुख्ता आवंटन विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 5 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 212/47 के किला नम्बर 21 में 1 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 1 ता 20, 22 ता 25 में 24 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ

अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी वांछित सबूत सहिन उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज की जाती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा अविज्ञाप्ति है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 24—10—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24—10—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 5 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 212/47 के किला नम्बर 21 में 1 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 1 ता 20, 22 ता 25 में 24 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र विशेष आवंटन के तहत अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 6048 दिनांक 26—07—2002 को नोटिस जारी किया गया कि वे वांछित सबूत व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित आवें। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए क्रमांक 6611 दिनांक 18—08—2003 को पुनः नोटिस जारी किया गया कि वे वांछित सबूत व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित आवें। अन्यथा आवेदन पत्र खारिज कर दिया जायेगा।

(3) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु वांछित सबूत आदि प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। जबकि अपीलांट को आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ ही वांछित सबूत प्रस्तुत करने अपरिहार्य थे। अपीलांट द्वारा न तो अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत किये व ना ही

अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पालना में वांछित सबूत व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थिति हुआ। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 18—12—2003 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर